

सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये गये रेल अभिवहन कूपनों द्वारा की गई यात्रा का विवरण

[नियम 9 (1) (ख) एवं नियम 9 (1) (5) देखिए]

घोषणा

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक
एतद्वारा, घोषित करता हूँ/करती हूँ कि :-

..... रुपये का कूपन पुस्तक क्रमांक
(भारतवर्ष के भीतर यात्रा के लिये).

मेरे द्वारा और मेरे साथ जाने वाले व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाई गई है. और उसके प्रतिपुर्ण वापिस कर दिये गये हैं. मैंने और मेरे साथ जाने वाले व्यक्ति के भारत वर्ष के भीतर कि.मी. की यात्रा की है. की गई यात्रा का विवरण निम्नानुसार है:-

अनुक्रमांक	कूपन पुस्तक क्रमांक	दिनांक	कहां से कहां तक	श्रेणी	सदस्य के साथ जाने वाले व्यक्ति ने किस श्रेणी में यात्रा की	व्यय राशि	अन्य विशिष्टियां जैसे यात्रा का रद्दीकरण की जानकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

यदि कूपन पुस्तक में कूपन शेष बचे हैं तो उनका मूल्य तारीख.....

योग:
कुल योग

हस्ताक्षर,
सदस्य विधान सभा

कृपया नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार अभिवहन कूपन जारी करें :-

- (1) भारतवर्ष में यात्रा हेतु कूपन पुस्तक..... स्वयं सदस्य तथा उसके साथ जाने वाले व्यक्ति लिये;
रुपये मूल्य की जारी की गई.

लिपिक :-

अधिकारी.

नोट :-

- *1. कूपन पुस्तक क्रमांक किसी एक स्थान पर ही दें.
2. यात्राओं का विवरण भारत वर्ष के भीतर की यात्राओं के लिये ही दिया जाना है.